



राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर(राजस्थान)

प्री मास्टर ऑफ एज्यूकेशन परीक्षा

पी.एम.ई.टी. –2020

सामान्य दिशा–निर्देशिका



प्रो. आर. के. कोठारी
कुलपति

प्रो. कृष्णागोपाल शर्मा
समन्वयक, पीएमईटी–2020

प्री.एम.एड. प्रवेश परीक्षा कार्यालय
शिक्षा विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

दूरभाष नं. 0141–2711070 / 2710184 / 2711064 एक्स. 544 / 545 / 543

मो. नं. 9460788826, 8949315050

वेबसाईट–www.pmet2020.com

एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाईट पर इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन करें तत्पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में सामान्यसी चूक आपको इस प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
2. आवेदन पत्रप्रस्तुत करते समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है और निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज नहीं करना व जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र लगाना, इस प्रवेश में लाभ प्राप्त करने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक किया गया कृत्य माना जायेगा।
3. परीक्षा के प्रश्न पत्र में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक में वैकल्पिक उत्तर होंगे।
4. राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी/निर्मित आदेश एवं निर्देश आदि प्रवेश परीक्षा पर लागू होंगे।
5. पीएमईटी-2020 आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें, पहले आवेदन फार्म तथा शुल्क रु. 500/- का मूल चालान, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परित्यक्ता (तलाकशुदा)/विधवा/विकलांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, फीस जमा कराने की चालान की प्रति की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होंगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
6. पीएमईटी-2020 का परीक्षा केन्द्र जयपुर शहर ही होगा।

❖ महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री एम.एड प्रवेश परीक्षा 2020 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर रु. 2000/- तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनो सजाएं साथ-साथ हो सकती हैं।

राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक एफ-10(3) शिक्षा ग्रुप-4/2016 पीटी जयपुर के दिनांक 12.12.2019 के अनुमोदनानुसार राजस्थान के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

सामान्य निर्देश

राजस्थान के सभी एम.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में एम.एड. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रवेश कार्य किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न एम.एड. महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2020-21 के लिए द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु **प्री एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2020 (पी.एम.ई.टी.)** की **23 अगस्त, 2020 रविवार, दोपहर 2 से 5 बजे तक** होने वाली परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र 04 जून, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्री मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा 2020 सत्र 2020-21 के द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑन-लाईन आवेदन पत्र मय परीक्षा शुल्क रू. 500/- है।

एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम:-

1. राजस्थान के सभी एम.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एम.एड. प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग (पुरुष व महिला दोनों) के लिये बी.एड./शिक्षा शास्त्री/बी.ए.-बी.एड./बी.एस.सी-बी.एड./बी.एल.एड./अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग, विधवा एवं तलाकशुदा (परित्यक्ता) महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही आवेदन करने योग्य हैं।
3. इस वर्ष बी.एड./शिक्षा शास्त्री/समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिनका परीक्षा परिणाम 17 सितम्बर, 2020 तक घोषित नहीं हुआ, वे नॉन ज्यूडिसियल रू. 50/- पेपर पर घोषणा करेंगे कि मेरा बी.एड./शिक्षा शास्त्री/समकक्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही महाविद्यालय को अंकतालिका दे दी जायेगी। अगर मेरे परिणाम के कारण मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो मैं समस्त जमा करवाये शुल्क की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
4. प्री एम.एड. प्रवेश परीक्षा के अंको को आधार मानकर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी। अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिए।
5. राजस्थान सरकार द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-
 - I. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नहीं हो, शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं।
 - II. अन्य आरक्षण इस प्रकार रहेगा:-
 - i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
 - ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)
 - iii. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
 - iv. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार) देय होगा।
 - v. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा।
 - vi. राजस्थान के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, बहरे/गूंगे एवं अस्थि विकलांग सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नं. 4 पर नियमानुसार प्रस्तुत करने पर 05 प्रतिशत क्षैतिज (**Horizontal**) के आधार पर।
 - vii. राजस्थान के सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों (**Defence**) एवं उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (**Horizontal**) के आधार पर (सीमा सुरक्षा बल

(B.S.F.), सेन्ट्रल पुलिस बल एवं टेरिटरियल बल के कर्मियों का इस श्रेणी में कोई आरक्षण नहीं है।)

viii. राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर पर 10 प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी।

6. राजस्थान की अनुसूचित/अनु. जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गके अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
8. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नहीं की है, देना अनिवार्य होगा।
9. रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें भी एम.एड. प्रवेश परीक्षा में राजस्थान का माना जा सकता है। बशर्ते उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
10. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
11. पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा, तत्पश्चात आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।
12. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची का परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा। काउन्सलिंग की समय सारणी वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे वेबसाईट पर ध्यान रखें। किन्ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या ऑनलाईन काउन्सलिंग होने पर निश्चित समय पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं करने या काउन्सलिंग के समय जो महाविद्यालय उनको आवंटित किया जाता है, उससे अस्वीकार करने पर एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मैरिट का स्थान खो देगे और पुनः उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद पुनः किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी एम.एड. पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है।
14. पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
15. काउन्सलिंग की तिथि 17.09.2020 तक निर्धारित पात्रता परीक्षा की मूल अकंतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता उपरोक्त बिन्दु सं. 03 में वर्णित विवरण के अनुसार होगी।
16. (अ) **अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक सामान्य निर्देश:-**
 - i. अभ्यर्थी को एम.एड. प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि एम.एड. प्रवेश स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। एम.एड. में प्रवेश की जिम्मेदारी स्वतः अभ्यर्थी की अपनी है। यदि बाद में यह पता लगे कि वह एम.एड. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता और वह पी.एम.ई.टी. में बैठ जाता है तो भी उसे प्रवेश का कोई अधिकार नहीं होगा।

- ii. अभ्यर्थी को ऑनलाईन पर उपलब्ध नियमावली व सामान्य निर्देशों की प्रतिलिपि प्राप्त कर ध्यानपूर्वक अध्ययन करके तथा पालना करते हुए आवेदन पत्र भरना चाहिये।
- iii. परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्नको (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नहीं करना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किये बगैर पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- iv. पी.एम.ई.टी का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
- v. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एम.ई.टी. नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
- vi. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होगा, और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि (Oldest) को आधार माना जायेगा।

(ब) पी.एम.ई.टी. के प्रवेश हेतु मार्ग-दर्शन:-

- I. पी.एम.ई.टी में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें चार अनुभाग होंगे:-
 - i. शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार (Social and Philosophical Foundation of Education)
 - ii. अधिगम का मनोविज्ञान (Psychology of Learning)
 - iii. शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी (Educational Management and Educational Technology)
 - iv. शिक्षण कुशलता (Teaching Efficiency)
- II. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी। प्रत्येक अनुभाग में 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे (मॉडल प्रश्न में नमूना देखें)
- III. प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा, किन्तु भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को ही अन्तिम माना जायेगा।
- IV. प्रश्न पत्र की अवधि तीन घण्टे की होगी।
- V. प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और पूरा प्रश्न पत्र 600 अंको का होगा।
- VI. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। इस वर्ष परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- VII. सभी अनुभागों के प्रश्न पत्र "टेस्ट बुकलैट" के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक अनुभाग, क्रमशः 1,2,3,..... 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक (OMR Sheet) में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में नीले बालपेन से पूरे गोले को गहरा नीला करना है। निशान गहरा नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है। दी हुई उपयुक्त जगह को ही नीला कीजिये। उत्तर पत्रक पर इधर-उधर कहीं भी निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को नीला कर देने से उत्तर गलत मान लिया जायेगा। उत्तर पत्रक पर अन्य कार्य नहीं करना है। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।
- VIII. टेस्ट बुकलैट विभिन्न समुच्चयों (Combination) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक एवं कोड उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंको के समानान्तर गोले को सावधानी से गहरा नीला करें।

(स) परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश:-

- I. **परीक्षा शुल्क:** अभ्यर्थी एम.एड. परीक्षा शुल्क राशि रु. 500/- का भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से कर सकेंगे तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।

- II. **ऑनलाईन आवेदन-पत्र व चालान की प्रिन्ट प्रतियों को सुरक्षित रखने हेतु:** पीएमईटी आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें। पहले आवेदन फार्म तथा शुल्क रु. 500/- का मूल चालान, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता), विकलांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, फीस जमा कराने की चालान की प्रति की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होंगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
- III. आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा यदि:-
- अर्हक परीक्षा की सभी अंक सूचियों की फोटो प्रतियाँ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणीकृत न हो अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित न हो।
 - मूलनिवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो
 - आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो
 - अन्य अभ्यर्थी सम्बन्धी प्रमाण पत्र न हो।
- IV. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. सत्र 2020-21 में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) प्रवेश की घोषणा: प्रवेश की सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी।

- अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश परीक्षा पत्र वेबसाइट- www.pmet2020.com से निकलवाना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र व रोल नम्बर की सूचना का उल्लेख रहता है। अभ्यर्थी को मोबाईल पर एस.एम.एस द्वारा भी सूचना भेजने का प्रयास करेंगे।
- परीक्षा की मूल उत्तर पुस्तिका (मूल O.M.R) Invigilator को सौपनी होगी।
- परीक्षा की मूल प्रश्न पुस्तिका व उत्तर पत्रक (O.M.R) की कार्बन प्रति परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी ले जा सकेंगे।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतः वर्जित है।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में नीला बालपेन साथ में लाना न भूलें।

आदर्श प्रश्न पत्र (Model Question Paper)

भाग अ

शिक्षा का सामाजिक एवं दार्शनिक आधार

1. विद्यालय एवं कक्षाएँ अनावश्यक है, यह विचार है—
 (A) आदर्शवादी दर्शन (B) मार्क्सवादी दर्शन (C) प्रकृतिवादी दर्शन (D) प्रयोजनवादी दर्शन

भाग ब

अधिगम का मनोविज्ञान

1. अधिगम से अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है:—
 (A) अभिप्रेरणा के कारण (B) परिपक्वता के कारण (C) विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप (D) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

भाग स

शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी

1. 21वीं सदी में अध्यापक से प्रबंधन की अपेक्षा की जा रही है।
 (A) एक पाठ्यचर्या नियोजक के रूप में (B) परीक्षा प्रबंधक के रूप में (C) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रबंधक के रूप में (D) द्वन्द्व प्रबंधक के रूप में

भाग द

शिक्षण कुशलता

1. किसी शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय में छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किये गये मूल्यांकन को कहते हैं:—
 (A) निर्माणात्मक (B) रूपदेय (C) निदानात्मक (D) समाकल्नात्मक